वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 111 /2025 *दिनांक- 24.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 24.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना जहानागंजः हत्या का प्रयास में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 23.03.2025 को थाना जहानागंज के वादी श्री राजाराम चौहान पुत्र कुमार निवासी ग्राम बरही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 21.03.25 की रात्रि में 11 बजे वादी मुकदमा के गांव के ही मंगल चौहान पुत्र कान्ता चौहान द्वारा वादी के बेटे मनीष चौहान को गाली गुप्ता देते हुये चाकू मार देना जिससे बेटे के पेट में गहरी चोट आना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया जिसके तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 105/2025 धारा 115(2), 118(1), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 1-मंगल चौहान पुत्र कान्ता चौहान निवासी बरही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव के द्वारा की जा रही है। मजरुब इस समय आईसीयू में ग्लोबल हास्पीटल आजमगढ़ में भर्ती है जिसके डाक्टर के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस की बढोत्तरी गयी है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 24.3.25 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबधित अभि0 मंगल चौहान पुत्र कांता चौहान निवासी बरही को घटना में प्रयुक्त एक चाकू पेट्रोल पंप के आगे भुजही मोड़ के पास से समय करीब 13.27 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02.थाना- फूलपुरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 24.03.2025 को थाना प्रभारी व0उ0नि0 गंगा राम विन्द मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान दुर्वाषा गेट बहद ग्राम सदरपुर बरौली के पास से अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दिनाक 23.03.2025 को समय करीब 23.50 बजे एक कट्टा .315 बोर व एक जिन्दा कारतुस .315 बोर के साथ को जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बता कर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. बृजेश कुमार पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1- एक कट्टा .315 बोर व एक जिन्दा कारतुस .315 बोर।

पूछताछ का विवरण– जुर्म से स्वीकार बार-बार माफी मागंना।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 -162/2025 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलपुर,आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. बृजेश कुमार पुत्र केदारनाथ निवासी ग्राम चमराडीह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	162/2025	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
2	46/2022	380 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
3	109/2022	420/467/468/471 भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
4	299/2022	3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

03.थाना-तहबरपुरः दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 13.03.25 को आवेदिका थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रामवृक्ष यादव उर्फ प्रधान यादव पुत्र रामबुझारत यादव ग्राम निवासी पूराअचानक थाना तहबरपुर आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष द्वारा असलहा दिखाकर आवेदिका के साथ दुष्कर्म किया गया, आपत्तिजनक वीडियों बनाकर वायरल करने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 54/2025 धारा 64,351(2) भा0न्या0सं0 बनाम 1. रामवृक्ष उर्फ प्रधान यादव पुत्र रामबुझारत यादव ग्राम निवासी पूराअचानक थाना तहबरपुर आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 24.03.25 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामवृक्ष उर्फ प्रधान यादव पुत्र रामबुझारत यादव ग्राम निवासी पूराअचानक थाना तहबरपुर आजमगढ़ को तहबरपुर तिराहे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास बने बैरमपुर अण्डर पास से समय करीब 11.30 बजे हम पुलिस बल द्वारा हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

04.थाना अतरौलिया: चोरी के अभियोग वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दिनांक 23.03.2025 को वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी दुराजपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 23.03.2025 को समय 10.30 बजे के करीब उसके घर पर न रहने पर 03 अज्ञात चोरों द्वारा वादी का पडवा(भैंसा) चोरी कर ले जाने जिसे वादी मुकदमा के पिता के देखने व रोकने पर भी चोरी करने मे सफल हो जाने के संबंध में प्रा0पत्र दिया गया प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98/25 धारा 303(2) BNS बनाम 1. मैजिक चालक अज्ञात 03 व्यक्ति के पंजीकृत किया गया। तथा दिनांक 06.06.2024 को वादी मुकदमा रामबली यादव पुत्र सितई यादव निवासी इब्राहिमपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के बैल को चुरा लिया गया है प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 379 भादवि बनाम 1. अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना चोरी के माल बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 98/25 मे धारा 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 202/24 में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्तगण 1. निसार पुत्र हनीफ निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 25 वर्ष 2. हनीफ पुत्र नगीना निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 48 वर्ष 3. विशाल यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी भैरोदासपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष का नाम प्रकाश में लाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.03.2025 को उ0नि0 अभिषेक यादव मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त भैंस चोरी हुई है उसमें सम्मिलित तीन व्यक्ति पिकप वाहन में भैंस के साथ माझीपुर इंट भट्टे के पास खड़े है , इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँचकर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त - 1. निसार पुत्र हनीफ निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 25 वर्ष 2. हनीफ पुत्र नगीना निवासी निबा हुसैनपुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 48 वर्ष 3. विशाल यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी भैरोदासपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को 01 राशि भैंसा , 1210/ -रुपये के साथ समय 00.45 बजे हिरासत लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0162/24 धारा 406/504/506 भादवि थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0 0321/24 धारा 303(2),317(2) बीएनएस
3. मु0अ0सं0 406/23 धारा 323/504/506/452 भादवि बनाम विशाल यादव पुत्र रघुनाथ यादव निवासी भैरोदासपुर थाना

05.थाना- सिधारी: चोरी की 02 मोटरसाइकिल व अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 24.03.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मुसेपुर मय हमराह द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले दो अभियुक्त को रेलवे क्रासिंग वहद ग्राम मूसेपुर के पास से समय 02.24 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल नं0- UP50U5054 होण्डा ड्रीम नियो 110 सीसी स्लेटी रंग व 01 मोटरसाइकिल जिसका नम्बर UP501828 हीरो एच एफ डिलक्श रंग काला व लाल धारी का बरामद हुआ जिस पर चेचिस नम्बर MBLHAR20XH4K03175 अंकित है उक्त बरामदशुदा वाहन के नम्बर UP501828 को ई चालान एप पर चेक किया गया तो कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी परन्तु वाहन पर अंकित चेचिस नम्बर MBLHAR20XH4K03175 व वाहन का नम्बर PBGQ5288 प्राप्त हुआ व 01 अवैध देशी तंमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतसू 315 बोर बरामद हुआ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 24.3.25 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा रेलवे क्रासिंग वहद ग्राम मूसेपुर पर संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तभी मुखबिर खास की सूचना के आधार पर हुसैनगंज की ओर से मूसेपुर रेलवे क्रासिंग की ओर आ रहे हैं जिनके पास चोरी की मोटरसाइकिले हैं जो बेचने हेतु कही जाने के फिराक मे है लेकिन सतर्क रहियेगा इन लोगो के पास अवैध असलहा भी हो सकता है इन लोगों का यही पेशा है कि आस पास के जनपदों से चोरी की मोटरसाइकिल इकट्ठा करके ग्राहक खोज कर उन्हें मुनाफा कमाकर अच्छे दामों पर बेच देते हैं इनके पास और भी मोटर साइकिले हो सकती हैं, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर समस्त पुलिस बल को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए हम पुलिस वाले मय मुखबिर रेलवे क्रासिंग की तरफ चल दिये तथा रेलवे क्रासिंग से कुछ दूर पहले ही हम पुलिस वाले अपने अपने वाहनो को इधर उधर पेड़ व झाड़ के आड़ मे खड़ा कर हिकमत अमली से अपने को छिपते छिपाते हुए घेर घार कर मौके पर 01 बाइक के साथ दोनो व्यक्तियो को पकड़ लिया गया व समय 02.24 बजे गिरफ्तार कर थाना पर लाकर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/319(2)/318(4) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम अभियुक्त 1. मो0 साजिद पुत्र मो0शमीम निवासी ग्राम नेगंवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 व चन्दन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी ग्राम नेगंवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1- मो0 साजिद पुत्र मो0शमीम निवासी ग्राम नेगंवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

2- चन्दन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी ग्राम नेगंवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मो0 साजिद पुत्र मो0शमीम निवासी ग्राम नेगंवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

1-मु0अ0सं0 133/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/319(2)/318(4) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2-मु.अ.स. 365/23 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवि व 3/7 आयुध अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

3-मु.अ.स. 392/23 धारा 379/411 भादवि थाना शाहगंज जनपद जौनपुर

चन्दन चौहान पुत्र सुबेदार चौहान निवासी ग्राम नेगंवा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष

मु0अ0सं0 133/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5)/319(2)/318(4) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

06. थाना रौनापारः साइबर फ्राड का 10,000/- रूपया वापस कराया गया

घटना का विवरण-

आवेदक राजकिशोर यादव पुत्र श्रीकिशुन यादव निवासी ग्राम सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 10.01.2025 को पार्सल कूरियर करने के नाम पर झासा देकर मोबाईल के हैंक करके आवेदक के खाते से कुल 91,000/- रुपये ट्रांसफर कर लेना। जब अवेदक को लगा की वह साईबर फ्राड का शिकार हो गया है तो आवेदक द्वारा साईबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर दिनांक 10.01.25 को शिकायत नं0 33101XXXXXX दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरणः-

आवेदक राजकिशोर यादव पुत्र श्रीकिशुन यादव निवासी ग्राम सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा साईबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 33101XXXXXXX दर्ज कराया गया कि उनके साथ कुल 91,000/- रुपये का साईबर फ्राड हुआ है। उक्त शिकायती प्रार्थना पर थाना रौनापार के साईबर टीम के का0मु0 रत्नेश सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के 60,050.56/- रुपये तीन बैंको क्रमशः सीटी बैंक मे 10,000/- रुपये व एक्सीस बैंक मे 50,000/-रुपये तथा HDFC बैंक मे 50.56 रुपये होल्ड हुए। पैसा होल्ड होने के उपरान्त विधि कार्यवाही करते हुए आवेदक का 10,000/- रुपये आवेदक के खाते मे वापस कराया गया। शेष 50,000/- रुपये को वापस कराने के सम्बन्ध मे विधि कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम का विवरणः-

1- का0मु0 रत्नेश सिंह मय साईबर टीम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

07. थाना रौनापारः गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मोती विश्वकर्मा द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से क्रय किये 01 मोटरसाइकिल को नियमानुसार जब्त किया गया।

दिनांक 10.05.24 को थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/24 धारा 3(1) व 2(ख)22 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ आदि 06 नफर के विरुध्द पंजीकृत होकर विवेचना मुझ थानाध्यक्ष थाना रौनापार द्वारा प्रचलित है। दौराने विवेचना व साक्ष्य संकलन से अभियुक्त मोती विश्वकर्मा द्वारा अपराध जगत से अर्जित धन से अपने पुत्र विनोद कुमार विश्वकर्मा के नाम से वर्ष 2022 मे प्लसर मो0सा0 नं0 UP50CJ8538 क्रय किया गया है। उक्त मो0सा0 के श्रीमान् जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय के आ आदेश के अनुपालन मे नियमानुसार कुर्क कर कब्जा पुलिस मे लिया गया।

थाना रौनापार
आजमगढ़
CCTNS-कार्यालय
UP 50CJ 8538

08.थाना अतरौलिया: 18 लावारिस वाहनों की हुई निलामी ।

___ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे लावारिस वाहनों के निस्तारण आदेश के अनुपालन में थाना स्थानीय पर लावारिस में दाखिल वाहनों के नीलामी की प्रक्रिया की कार्यवाही हेतु श्रीमान् उपजिलाधिकारी बूढनपुर महोदय के द्वारा आज दिनांक 24.03.2024 की तिथि नियत की गयी जिसमें नायब तहसीलदार श्रीमती वन्दना वर्मा , थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा द्वारा थाना अतरौलिया परिसर में नीलामी की प्रकिया की गयी जिसमें 07 निलामीकर्ता क्रमशः 1. पवन कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी हाफीजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ 2. कैलाश पुत्र राजकुमार निवासी बेलाखास थाना बरदह आजमगढ़ 3. प्रकाश जायसवाल पुत्र शोभनाथ जायसवाल निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ 4. श्रीकृष्ण पुत्र स्व0 सुभाष वर्मा निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ 5. राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 उजागिर सिंह निवासी सलेमपुर हीरापट्टी थाना कोतवाली आजमगढ़ 6. बजरंगी पुत्र स्व0 हरिश्चन्द निवासी पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली आजमगढ़ 7. मैकुलाल पुत्र झकड़ी निवासी बेलाखास थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा निलामी में प्रतिभाग करते हुये बोली लगायी गई तथा कुल 18 लावारिस वाहनो की कुल बोली 2,11,000/- रुपये की लगी।

नीलामी वाहनो का विवरण –

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं0	चेचिस नं0
1.	मो0सा0 हीरो होण्डा	UP 32 CD 7563	अपठनीय
2.	हीरो होन्डा स्पलेन्डर प्लस	बिना नम्बर	05T16F03174
3.	कावासाकी	PB10 BE 3965	DFBKK43411
4.	अपाची	बिना नम्बर	MD63ZAE72J2F27950
5.	पल्सर	बिना नम्बर	MD2DHDHZJSCC74414
6.	मो0सा0 हीरो होण्डा	बिना नम्बर	अपठनीय
7.	मो0सा0 डिस्कवर	PB 37 G 3196	अपठनीय
8.	मो0सा0 हीरो होण्डा	बिना नम्बर	अपठनीय
9.	बजाज प्लेटिना	बिना नम्बर	DDJKZZIPA12440
10.	TVS फोनेक्स	बिना नम्बर	अपठनीय
11.	मैजिक (मालवाहक)	UP42T7834	अपठनीय
12.	मैजिक	UP50T1160	अपठनीय
13.	जीप	अपठनीय	अपठनीय
14.	इन्डिका	बिना नम्बर	अपठनीय
15.	मैजिक	UP41T 3403	अपठनीय
16.	मैजिक	बिना नम्बर	अपठनीय
17.	ऑटो	बिना नंबर	MCG000GP4H1647483
18.	मैजिक	UP 45 T 1236	MAIFB2MCRB6J48105

सम्पूर्ण नीलामी का कुल धनराशि 2,11,000/- रु0 प्राप्त किया गया। प्राप्त धनराशि को अन्दर मालखाना में रखा गया। उपरोक्त धनराशि को विधिक कार्यवाही कर नियमानुसार आंकिक शाखा पुलिस कार्यालय आजमगढ में जमा कराया जायेगा।

नीलामी मे मौजूद अधिकारी कर्मचारीगण –

1- नायब तहसीलदार श्रीमती वन्दना वर्मा आजमगढ़

2- थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना अतरौलिया आजमगढ़

3- हे0मो0 रविशंकर भारती थाना अतरौलिया आजमगढ़

5- समस्त अधि0 कर्मचारीगण थाना अतरौलिया आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना-फूलपुर

27 मार्च को होगी 50 लावारिश वाहनों की निलामी।

दिनांक 27-03-2025 को थाना फूलपुर जनपद आजमगढ पर लावारिस (जीर्ण शीर्ण) अवस्था में खडे एक चार पहिया व 49 दो पहिया कुल 50 वाहनो की निलामी उपजिलाधिकारी फूलपुर आजमगढ के आदेश क्रम में नायब तहसीलदार फूलपुर आजमगढ के द्वारा कराया जायेगा।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.03.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **आजीवन कारावास व 20,000 रुपये** से दण्डित किया गया।

थाना महराजगंजः हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रूपये जुर्माना।

➡ दिनांक- 11/06/2015 को वादी मुकदमा श्री जय प्रकाश पुत्र श्याम प्यारे सिंह निवासी भैरोदासपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 10/11.06.2015 को अभियुक्तः **सोनू सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह निवासी भैरोदासपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के भाई को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 75/2015 धारा-302 भादवि व 85/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 24.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह निवासी भैरोदासपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**